रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 2016/फाल्गुन 11, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 216]
No. 34] DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 2016/PHALGUNA 11, 1937 [N.C.T.D. No. 216]

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 1 मार्च, 2016

सं. फा. 3(643)/नीति/वैट/2016/1585-1597.—मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 28 के उपनियम (3) के चतुर्थ परन्तुक के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद्द्वारा अपेक्षा करता हूँ कि –

– वे डीलर जिनकी सकल बिक्री (अर्थात् दिल्ली मूल्य संवर्धित कर, 2004 के अन्तर्गत कुल बिक्री जमा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कुल बिक्री) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान पचास लाख रुपये से अधिक थी उन्हें 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 की कर अवधि तथा उत्तरवर्ती सभी कर अवधियों के लिये सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फार्म डीवैट–16 अथवा फार्म डीवैट–17, जैसी भी स्थिति हो, में रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी; तथा

– वे डीलर, जो 01 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् दिल्ली मूल्य संवर्धित कर, 2004 के अन्तर्गत पंजीकृत हुए हैं उन्हें वर्ष के दौरान उनकी पचास लाख रुपये से अधिक सकल बिक्री होने पर, उस वर्ष के पश्चात् आने वाली सभी कर अवधियों के लिये सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फार्म डीवैट–16 अथवा फार्म डीवैट–17, जैसी भी स्थिति हो, में रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी।

स्पष्टीकरण 1– केन्द्रीय बिक्री (दिल्ली) नियमावली, 2005 के नियम 3 के उपनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार जहाँ दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत डिजिटल हस्ताक्षर के साथ रिटर्न दाखिल की जानी आवश्यक हो, तो फार्म–1 में रिटर्न डिजिटल हस्ताक्षर के साथ भरी जानी भी आवश्यक होगी।

स्पष्टीकरण 2– इस अधिसूचना के अन्तर्गत जिन डीलरों को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है उनके अलावा अन्य डीलर भी अपने स्वयं के विकल्प पर डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण 3– डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अपनी रिटर्न दाखिल करने वाले डीलरों को अलग से रिटर्न की पावती के लिये फार्म डीवैट–56 में रिटर्न सत्यापन फार्म प्रस्तुत करने आवश्यकता नहीं है।

स्पष्टीकरण 4– जिन डीलरों ने एक बार डिजिटल हस्ताक्षर के साथ रिटर्न दाखिल करना प्रारंभ कर दिया है, यदि भविष्य में किसी समय उनकी वार्षिक कुल बिक्री पचास लाख रुपये से कम होती है तो भी उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर के साथ रिटर्न दाखिल करना जारी रखना होगा।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATIONS

Delhi, the 1st March, 2016

No. F. 3(643)/Policy/VAT/2016/1585-1597.—In exercise of the powers conferred on me under the fourth proviso to sub-rule (3) of rule 28 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, I, S. S. Yadav, Commissioner, Value Added Tax, Government of NCT of Delhi, do hereby require that–

- the dealers, whose gross turnover (i.e. turnover under the Delhi Value Added Tax Act, 2004 plus turnover under the Central Sales Tax Act, 1956) during the financial year 2014-15 exceeded fifty lakh rupees, shall furnish their returns in Form DVAT 16 or in Form DVAT 17, as the case may be, with digital signatures in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 for the tax period 1st January, 2016 to 31st March, 2016 and subsequent tax periods; and
- the dealers who are registered under the Delhi Value Added Tax, 2004 on or after 1st April, 2015 shall furnish their returns in Form DVAT 16 or in Form DVAT 17, as the case may be, with digital signatures in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 for the tax periods following the year during which their gross turnover exceeds fifty lakh rupees.

Explanation 1- In view of the provisions of sub-rule (1) of rule 3 of Central Sales Tax (Delhi) Rules, 2005, where the return under the Delhi Value Added Tax Act, 2004 is required to be filed with digital signatures, the return in Form 1 shall also be required to be filed with digital signatures.

Explanation 2- The dealers other than those who are mandatorily required to file returns through digital signatures under this notification can also, at their own option, file their returns through digital signatures.

Explanation 3- Dealers filing their return through digital signatures are not required to submit the return verification form in Form DVAT 56 for acknowledgement of the return separately.

Explanation 4- The dealers once started filing returns with digital signatures shall continue to file the returns with digital signatures even if their annual turnover falls below fifty lakh rupees any time in future.

This notification shall come into force with immediate effect.

सं. फा. 3/352/नीति/वैट/2013/1559-1571.—अधिसूचना संख्या सं. फा. 3/352/नीति/वैट/2013/1395–1405 दिनांक 01–02–2016 के आंशिक संशोधन में, जो कि प्रपत्र डी.पी.1 में ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित थी, मैं, एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली मूल्य संवर्धित अधिनियम, 2004 की धारा 70 की उप धारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) व (3) तथा धारा 59 की उपधारा (2) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करता हूँ कि डी.पी.1 में ऑनलाइन सूचना दिनांक 31.03.2016 तक प्रस्तुत की जायेगी ।

उपर्युक्त अधिसूचना की बाकी सामग्री उसी प्रकार रहेगी ।

No. F. 3(352)Policy/VAT/2013/1559-1571.—In partial modification of Notification No. F. 3 (352) Policy/VAT/2013/1395-1405 dated 01/02/2016 regarding submission of information online in Form DP-1, I, S.S.Yadav, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred on me by sub-section(1) read with sub-section (2) and (3) of section 70 and sub-section (2) of section 59 of Delhi Value Added Tax Act, 2004, notify that the Form DP-1 shall be submitted online by all the dealers latest by 31.03.2016.

Rest of the contents of the above said Notifications shall remain the same.

सं. फा. 3(628)/नीति/वैट/2016/पीएफ/1572.1584.—मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 27 के अन्तर्गत मुझे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या फा. 3(628)/नीति/वैट/2016/1424–36 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के आंशिक संशोधन में, मैं, एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों (अर्थात् 01 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2015, 01 जुलाई, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 और 01 अक्टूबर, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015) के लिये फार्म सी आर–II में रिटर्न 15/03/2016 तक भरी जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त अधिसूचना की बाकी विषय वस्तु उसी प्रकार रहेगी ।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

No. F. 3(628)/Policy/VAT/2016/PF/1572-1584.—In exercise of the powers conferred on me under section 27 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 and in partial modification to the notification No. F. 3(628)/Policy/VAT/2016/ 1424-36 dated 11/02/2016, I, S.S.Yadav, Commissioner, Value Added Tax, Government of NCT of Delhi, do hereby direct that the returns in Form CR-II for the first three quarters of the current financial year (i.e. 1st April, 2015 to 30th June, 2015, 1st July, 2015 to 30th September, 2015 and 1st October, 2015 to 31st December, 2015) are required to be filed by 15/03/2016.

Rest of the contents of the above said Notification shall remain unchanged.

This notification shall come into force with immediate effect.

S. S.YADAV, Commissioner, Value Added Tax

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054